कार्यालय नगर पालिका परिषद लहरपुर (सीतापुर)

पत्रांकः— 69 /न0पा0प0ल0/2026—27 दिनॉक 15/05/2026

आदेश

श्री मुशीर अहमद
Buyer&Consiggnee (Gem Portal)
नगर पालिका परिषद लहरपुर

विषयः— **आउटसोर्सिंग (सेवाप्रदाता) के माध्यम से श्रमिकों की आपूर्ति जेम पोर्टल से लिये जाने के सम्बन्ध में।**

शासनादेश संख्या—8/2019/20/1/91—का—2/2019 दिनांक—18 दिसम्बर 2019 व अपर मुख्य सचिव महोदय के पत्र सं0 5/2020/20/1/91—का—2/2020 कार्मिक अनुभाग—2 लखनऊ दिनांक 25 जून 2020, पत्र सं. 468/9—1—22—66सा/2001 दिनांक 04 अप्रैल 2022 नगर विकास अनुभाग—1 के कम में **आउटसोर्सिंग (सेवाप्रदाता) के माध्यम से** सहायक पम्प आपरेटर, जे0सी0बी0 चालक, वाहन चालक सहायक, माली, चौकीदार, लाईनमैन सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर, टैक्स विभाग वसूली सहायक, सफाई विभाग के **श्रमिकों की आपूर्ति** Gem Portal के माध्यम से करने आदेश शासन द्वारा प्राप्त हो रहे है। इस हेतु पालिका में आउटसोर्सिंग श्रमिकों की आपूर्ति करने हेतु Gem Portal के नियमों का पालन करते हुये आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लहरपुर
सीतापुर

नियम व शर्तें

1. उपरोक्त मानव श्रमिकों की आपूर्ति जेम के अन्तर्गत शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार की जायेगी।
2. सेवा प्रदाता कम्पनी का उ0प्र0 में रजिस्टर्ड कार्यालय होना अनिवार्य होगा एवं कार्यालय का पता कम्पनी के लेटर हैड पर होना अनिवार्य होगा।
3. फर्म के कार्य की अवधि कार्यादेश दिनांक से 31 मार्च 2027 तक होगी।
4. अन्य शर्तें जेम पोर्टल के अन्तर्गत दिये गये मानकों के अनुरूप होगी।
5. फर्म श्रम विभाग एवं सर्विस टैक्स में पंजीकृत होनी चाहिए।
6. सेवा प्रदाता कम्पनी फर्म को सरकारी/अर्द्धसरकारी किसी भी विभाग में वर्तमान में काली सूची में न होने का शपथ पत्र देना होगा।
7. सेवा प्रदाता फर्म का श्रम विभाग, ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0, जी0एस0टी0, पैनकार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. सेवाप्रदाता को सर्विस चार्ज 3.85 प्रतिशत से कम न हो और अधिक से अधिक 07 प्रतिशत ही अनुमन्य होगा।
9. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा 194 सी आयकर अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसकी कटौती लाभांश से की जायेगी।
10. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा समस्त कर्मचारियों को आई0डी0 कार्ड एवं मौसम के अनुसार वर्दी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा समस्त कर्मचारियों के आहरित वेतन व ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 का लेखा–जोखा लेखा/अधिष्ठान विभाग को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
12. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कर्मचारियों को मानदेय/भत्तों को शासन के निर्देशानुसार पी0डब्ल्यू0डी0 शेड्युल रेट/श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में वर्णित दरों के अनुसार तथा उसमें होंने वाली वृद्धि समय–समय पर कार्यालयदेशानुसार देय होगी।
13. कम्प्यूटर आपरेटर हेतु शैक्षिक योग्यता सी0सी0सी0 डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी व अंग्रजी में टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट लिखना अनिवार्य है एवं ड्राइवर पद हेतु लाइसेंस होना अनिवार्य है।
14. सेवा प्रदाता फर्म को EST ACT 1948 के तहत Employee State Insurance Corporation में पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस लगाना अनिवार्य होगा।
15. सेवा प्रदाता फर्म को कर्मचारियों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के लिखित आदेश पर आपूर्ति करने को बाध्य होगा।
16. आपूर्ति किये गये कर्मचारियों की संख्या कम अथवा अधिक करने का अधिकार द्वितीय पक्ष में निहित होगा।
17. कर्मचारियों का वेतन शासनादेश के अनुसार घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है।
18. सेवा प्रदाता फर्म को आपूर्ति किये गये कार्मिकों को नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा।

19. सेवा प्रदाता फर्म को आपूर्ति किये जाने वाले कार्मिकों को नियमानुसार पारिश्रमिक बैंक खाते के माध्यम से प्रदान करना अनिवार्य होगा। जिसकी सूची प्रतिमाह कार्यालय में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
20. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कर्मचारियों को दैवीय आपदा/दुर्घटना घटित होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। नगर पालिका परिषद लहरपुर उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
21. सेवा प्रदाता फर्म को बिड में उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों के सत्य व सही होने व प्रमाणिकता हेतु नोटरी शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है तकनीकी जाँच में त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार पर भ0द0संहिता के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
22. निकाय में पहले से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
23. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल से भुगतान हेतु नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
24. सेवा प्रदाता फर्म को उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को वेतन उपस्थिति दिवस के आधार पर देय होगा कार्य के समय अनुपस्थित रहने पर कर्मचारियों को कोई वेतन देय नहीं होगा।
25. कर्मचारियों को ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 शासनादेशानुसार देय होगा।
26. सेवा प्रदाता फर्म को स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
27. बिड डालने हेतु ई0एम0डी0/जमानत धनराशि के रूप में अनुमानित लागत का 03 प्रतिशत ई0एम0डी0 नगर पालिका परिषद लहरपुर के भारतीय स्टैट बैंक खाता संख्या 38686316966 IFSC-CODE SBIN0008314 में नकद जमा कर बिड के साथ छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड खुलने से एक दिन पूर्व समस्त अभिलेखों के साथ उक्त जमानत धनराशि जमा कर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। बिड स्वीकृति न होने की दशा में अर्नेस्ट मनी की धनराशि वापस कर दी जायेगी व सफल बिडर की जमानत धनराशि को बंधक के रूप में रखा जायेगा।
28. चयनित फर्म का कार्य संतोषजनक होने पर फर्म की समयावधि में वृद्धि की जा सकती है पूर्व स्वीकृत दरों पर।
29. सेवा प्रदाता फर्म को बिड अभिलेख के साथ ई0एम0डी0 की मूल प्रति लगाना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या–42/2020/ई–153/18–2–2020–97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक–17 दिसम्बर, 2020 में स्पश्ट है कि किसी भी श्रेणी में ई0एम0डी0 से छूट/शिथिलता अनुमन्य नहीं है।
30. तकनीकी बिड खुलने से एक दिन पूर्व फर्म द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराने की दशा में फर्म की तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
31. स्वीकृत सेवा प्रदाता फर्म को 100 रू0 के जनरल स्टैम्प पर अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा।
32. अनुबन्ध न करने की दशा में जमानत जब्त कर ली जायेगी व ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

33. अनुबन्ध में ओवरराइटिंग/कटिंग मान्य न होगा।
34. फर्म का ई0एस0आई0सी0 व ई0पी0एफ0 में पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा कर्मचारियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले वेतन बिल के साथ जमा चालान संलग्न करना अनिवार्य होगा।
35. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय में निहित होगा।
36. स्वीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये गये कर्मचारी का कार्य, संव्यवहार संतोषजनक न होने पर उसे सम्बन्धित फर्म को वापस किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
37. बिडर द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
38. ठेके के अनुबन्ध की शर्तें व अन्य कार्यों पर कोई मतभेद होने पर प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय सीतापुर आर्विट्रेटर होगें। आर्विट्रेटर द्वारा किया गया निर्णय व आदेश नगर पालिका परिषद लहरपुर के ठेकेदार को मान्य होगा।
39. सेवा प्रदाता द्वारा कर्मचारियों के वेतन भुगतान के पश्चात् बिल कार्यालय में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।
40. सेवा प्रदाता को सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
41. टर्नओवर न्यूनतम 01 करोड का प्रस्तुत करना होगा।
42. यदि सेवा प्रदाता द्वारा निकाय के कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
43. कार्य संतोषजनक होने पर अगले वर्ष का नवीनीकरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जा सकता है।
44. कार्य संतोषजनक न होने पर अधोहस्ताक्षरी को कार्मिकों को हटाये जाने का अधिकार होगा।
45. अन्य शर्तें जेम पोर्टल की ATC और GTC के अनुसार होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
लहरपुर – सीतापुर

आउटसोर्सिंग से श्रमिकों की आपूर्ति किये जाने हेतु पदों सं0 (2026–27)

क्र0सं0	पदनाम	पदों की सं0	दर प्रति श्रमिक
1	सहायक पम्प आपरेटर ✓	30	435.00
2	जे0सी0बी0 चालक ✓	03	505.00
3	वाहन चालक सहायक	10	435.00
4	माली ✓	03	435.00
5	चौकीदार ✓	05	435.00
6	लाईनमैन सहायक ✓	04	435.00
7	कम्प्यूटर आपरेटर ✓	04	833.00
8	टैक्स विभाग वसूली सहायक ✓	07	435.00
9	सफाई विभाग ✓	90	435.00
10	कार्यालय सहायक ✓	04	435.00
	योग	160	

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लहरपुर
सीतापुर